न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3397–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–08–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 438/अपील/2013–14.

1–सडिया पिता हरजी डामर
2–लालू पिता थावरिया डामर
3–हकरू पिता थावरिया डामर
4–मंगली पिता हरजी डामर
5–लालू पिता कालिया डामर
6–हीराबाई पति स्व0कालिया डामर
सभी निवासी ग्राम रूपागढ़, तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–सोमला पिता नानजी डामर
2–शंभु पिता नानजी डामर
3–मानसिंग पिता नानजी डामर
4–पेमली पति स्व0नानजी डामर
सभी निवासीगण ग्राम रूपागढ़
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 12–8–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार पेटलावद के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रूपागढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 170, 202, 203, 204, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 312, 313, 939 एवं 940 कुल सर्वे नम्बर 14 कुल रकवा 10.10 हेक्टर के अभिलिखित भूमिस्वामी उभयपक्ष हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 42 अ–27/09–10 दर्ज कर दिनांक 13–6–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार न्यायालय का आंदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–8–14 को आदेश पारित किया जाकर द्वितीय अपील अवधि बाह्य होने एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं करने के कारण अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 – 1/2 हिस्से का उभयपक्ष के मध्य बटवारा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 61–ए/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–7–09 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमियों में से 1/2 हिस्से का स्वत्व अनावेदकगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा कराने का अधिकार ही नहीं था ।

(2) अनावेदकगण की ओर से असत्य सजरा, खानदान पर विश्वास कर तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष कुल 14 सर्वे नम्बरों के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त आवेदन पत्र में आवेदकगण की स्वयं अर्जित भूमि सर्वे कमांक 205

रकवा 6.75 का उल्लेख नहीं होने के बावजूद उक्त भूमि का भी बटवारा करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) सर्वे कमांक 104 रकवा 1.06 हेक्टेयर पर अनावेदक का कोई हक एवं स्वत्व नहीं होते हुये एवं उनका नाम व उनके पूर्वजों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं होने के बावजूद उक्त भूमि को सर्वे नम्बर 103 में सम्मिलित कर बटवारा आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर द्वितीय अपील अग्राह्य करने में अवैधानिकता की गई है कि आवेदकगण की ओर से प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि आवेदकगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की जाकर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र को निरस्त करने संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये समय चाहा गया था । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

तर्क के समर्थन में वर्ष 1966 आरएन/218, 1986 आरएन 258 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गयें है :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन करते हुये विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाये ।

(2) आवेदकगण द्वारा जिस व्यवहार वाद में पारित आदेश का हवाला देते हुये अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व नहीं होना बताया गया है, उसका व्यवहार न्यायालय से गुणदोष पर निराकरण नहीं हुआ है और न ही व्यवहार न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को बटवारा किस आधार पर करना चाहिये, इस संबंध में कोई निर्देश दिये गये है, अतः उक्त वाद के निर्णय को पूर्वः न्याय के सिद्धांत पर नहीं माना जा सकता

है । संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि बटवारा सह खातेदारों के मध्य स्वत्व के मान से किया जाना चाहिये । उक्त प्रावधान के अनुसार ही तहसीलदार के द्वारा विधिवत् सहखातेदारों के स्वत्व के मान से ही बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा फर्द बटवारा तलब किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा बटवारा फर्द बनाये जाने पर आवेदकगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है एवं आवेदकगण द्वारा कब्जे के मान से बटवारा कराये जाने की नीयत से तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें सर्वे नम्बर 205 का बटवारा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि उक्त सर्वे नम्बर की भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि थी, इसलिये बटवारा आवेदन पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया गया था, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा जो बटवारा आदेश पारित किया गया है, उसमें सर्वे नम्बर 205 का भी बटवारा कर दिया गया है। इस संबंध में तहसीलदार का यह दायित्व था कि वे सर्वे नम्बर 205 को बटवारे में सम्मिलित करने के पूर्व जॉच करते कि उक्त सर्वे नम्बर की भूमि उभयपक्ष के संयुक्त खाते की भूमि है अथवा आवेदकगण की स्वअर्जित भूमि है । इसके अतिरिक्त फर्द बटवारे पर उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों का भी उनके द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है और फर्द बटवारे अनुसार बटवारा आदेश पारित कर दिया गया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये

विधिवत् फर्द बटवारा तैयार करायें और फर्द बटवारे पर प्रस्तुत आपत्तियों का सकारण निराकरण करते हुये बटवारा आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 12–8–14 व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2012 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर